**भारत सरकार**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय**

**कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग**

**राज्य सभा**

**तारांकित प्रश्न सं. 56**

**05 फरवरी, 2021 को उत्तरार्थ**

**विषय: किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने हेतु विधिक गारंटी दिया जाना**

***56. श्री नीरज डांगी:**

**क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या सरकार का इरादा किसानों को उनकी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित करने हेतु विधिक गारंटी का उपबंध लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार मंडियों के बाहर न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम पर खरीद को रोकने के लिए क्या उपाय करेगी; और

(घ) सरकार मंडियों के बाहर न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम पर खरीद के मामलों में क्या कदम उठाएगी?

**उत्तर**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)**

**(क) से (घ) :** विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**‘किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने हेतु विधिक गारंटी दिया जाना’ के संबंध में राज्य सभा में दिनांक 05.02.2021 को उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. 56 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

**(क) एवं (ख):** भारत सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों को ध्यान में रखने के बाद दोनों फसल मौसमों में प्रत्येक वर्ष उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) की 22 मुख्य कृषिगत जिंसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा करती है। सरकार अपनी विभिन्न संबंधी हस्तक्षेप स्कीमों के माध्यम से किसानो को लाभकारी मूल्य प्रदान भी करती है।

**(ग) एवं (घ):** सरकार की विभिन्न स्कीमों के तहत केन्द्र एवं राज्य एजेंसियों द्वारा एमएसपी पर खरीद की जा रही है। इसके अलावा, समग्र मंडिया भी एमएसपी की घोषणा एवं सरकार के खरीद कार्य के प्रतिक्रिया स्वरूप विभिन्न अधिसूचित फसलों के लिए एमएसपी पर अथवा उससे अधिक पर निजी खरीद करती है। एमएसपी पर सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रभावी खरीद करने तथा उत्पादन, मंडी योग्य  अधिशेष, किसानों की सुविधा और भण्डारण एवं परिवहन आदि जैसी अन्य  लॉजिस्टिक/अवसंरचना की उपलब्धता को ध्यान में रखने के बाद संबंधित राज्य सरकार की एजेंसियों एवं नेफेड, एफसीआई इत्यादि जैसी केन्द्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा खरीद केन्द्र खोले जाते हैं। किसानों की सुविधा हेतु मुख्य स्थानों पर मौजूदा मंडियों एवं डिपो/गोदामों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में खरीद केन्द्र भी स्थापित किए जाते हैं।

*****